

Title: Need to grant ownership/leasehold right to SCs and backward Class people tilling forest land at Robertsganj in Sonbhadra district.

श्री राम शकल (राबर्ट्सगंज): स्भापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, उ.प्र. में 80 प्रतिशत अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। अति पिछड़ा जिला है, जहां भारत सरकार तथा निजी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं तथा विस्थापित को मुआवजा भी उचित नहीं मिला तथा वहां की परियोजनाओं में नौकरी भी नहीं मिली। 15-20 वर्षों से वह कृषि योग्य वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। अभी तक भौमिक अधिकार नहीं मिला। वन विभाग धारा 20 तथा धारा 04 के अधीन पट्टा भी नहीं दे रहा है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि कृषि योग्य भूमि पर जो 20 वर्षों से कब्जा है, उन्हें कानून बनाकर भौमिक अधिकार तथा पट्टा दिलाने का कट करे।